



# RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL

(University of Technology of Madhya Pradesh)

Airport Bypass Road, Gandhi Nagar,

ईमेल: [ce@rgpv.ac.in](mailto:ce@rgpv.ac.in)

Bhopal-462036

ईमेल: [dupms@rgpv.ac.in](mailto:dupms@rgpv.ac.in)

वेबसाईट : [www.rgpv.ac.in](http://www.rgpv.ac.in)

0755-2678855

## Following Process of Duplicate Mark-Sheet Online/Offline

सरल क्रमांक	ऑफ लाईन डुप्लीकेट अंकसूची आवेदन हेतु निर्देश	ऑन लाईन डुप्लीकेट अंकसूची आवेदन हेतु निर्देश (छात्र/छात्रा अपने पोर्टल आईडी द्वारा)
01	सत्र 1999 से 2007 में प्रवेशित छात्र/छात्रा द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची हेतु ऑफ लाईन किया जाता है।	सत्र 2008 एवं उसके बाद में आज दिनांक तक प्रवेशित छात्र/छात्रा द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची हेतु ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) किया जाता है।
02	डुप्लीकेट अंकसूची (Duplicate Marksheet) हेतु आवेदन पत्र (Form) एवं शपथ पत्र (Affidavite) का प्रारूप विश्वविद्यालय की आफिशियल वेबसाईड (Official Website) <a href="http://www.rgpv.ac.in/Exam/DownloadForms">www.rgpv.ac.in/Exam/DownloadForms</a> फॉर्म से प्राप्त होगा।	डुप्लीकेट अंकसूची (Duplicate Marksheet) हेतु आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय की आफिशियल वेबसाईड <a href="http://www.rgpv.ac.in">www.rgpv.ac.in</a> पर अपने पोर्टल द्वारा आन लाईन करना होगा एवं आवेदन उपरांत विश्वविद्यालय में सभी अपलोड दस्तावेज ऑन लाईन शुल्क की पत्री के साथ 07 कार्यदिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य।
03	आवेदक द्वारा नाम डुप्लीकेट अंकसूची (Duplicate Marksheet) का आवेदन अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) से प्रमाणित करना अनिवार्य। * संस्था यदि संचालन में नहीं है तो आवेदन पत्र T.R. शाख से प्रमाणित किया जावेगा।	आवेदक द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची (Duplicate Marksheet) का आवेदन ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) माध्यम से कर शुल्क रसीद से साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य।
04	आवेदक द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चालान रु. 100/- प्रति अंकसूची एवं रु. 50/- पोस्टल चार्ज अनिवार्य।	इस हेतु आवेदक का शुल्क पोर्टल के माध्यम से हो जावेगा।
05	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ 10 वी एवं 12 वी, अथवा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर की अंकसूची एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, मूल एफ. आई. आर. (FIR) एवं मूल शपथ पत्र (Affidavite) के साथ गुम हो चुकी अंकसूची की छायाप्रति आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य।	आवेदक द्वारा ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) आवेदन उपरांत 10 वी एवं 12 वी, अथवा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर की अंकसूची एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, मूल एफ. आई. आर. (FIR) एवं मूल शपथ पत्र (Affidavite) के साथ गुम हो चुकी अंकसूची की छायाप्रति आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य।
06	नाम सुधार की कार्यवाही उपरांत अंकसूचियों अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु भेजी जावेगी।	नाम सुधार की कार्यवाही उपरांत अंकसूचियों अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु भेजी जावेगी।
07	आवेदक की संस्था (कालेज) अगर बंद हो गई है तो नाम सुधार उपरांत अंकसूची विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी।	आवेदक की संस्था (कालेज) अगर बंद हो गई है तो नाम सुधार उपरांत अंकसूची विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी।